न्यायालय सहायक कलक्टर बांदीकुई जिला दौसा

मुकदमा नम्बर 251/2022
न्यायालय हाजा मे दर्ज नम्बर 2023/202 (202602/OA1535003)
दर्ज दिनांक 20.04.2023
निर्णय दिनांक 09.03.2026

उनवान

1. दिनेश कुमार पुत्र किशनलाल
2. दीपक कुमार पुत्र किशनलाल
3. प्रकाश पुत्र लहरी
4. रमेश चन्द पुत्र लहरी
5. राजकुमार पुत्र किशनलाल

समस्त जाति धोबी निवासी अनन्तवाड़ा तहसील बांदीकुई जिला दौसा।

6. हरसहाय पुत्र रामसहाय फौत के बजाय
6/1 मोहनलाल पुत्र हरसहाय
6/2 कपूरचन्द पुत्र हरसहाय
6/3 कौशल्या देवी पति हरसहाय

समस्त जाति धोबी निवासी अनन्तवाड़ा तहसील बांदीकुई जिला दौसा।

—वादीगण

बनाम

1. कैलाश पुत्र भूल्या
2. गोपाल पुत्र मोहनलाल

जाति कन्डेरा निवासी अनन्तवाड़ा तहसील बांदीकुई जिला दौसा।

3. ओमप्रकाश
4. किशनलाल
5. शंकर

पुत्रान पूनीराम जाति नाई निवासी अनन्तवाड़ा तहसील बांदीकुई जिला दौसा।

6. यूको बैंक शाखा पंडितपुरा जरिये व्यवस्थापक यूको बैंक शाखा पंडितपुरा
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बांदीकुई तहसील बांदीकुई जिला दौसा।

—प्रतिवादीगण

उपस्थित : वादीगण अधिवक्ता श्री अमर सिंह गुर्जर एडवोकेट
प्रतिवादी अधिवक्ता श्री छोटेलाल सैनी एडवोकेट

दावा उद्घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

—:: निर्णय ::—

दिनांक 09.03.2026

वाद वादी दावा उद्घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का न्यायालय उपजिला कलक्टर बांदीकुई के न्यायालय पेश किया गया उक्त प्रकरण शीघ्र सुनवाई हेतु न्यायालय हाजा मे स्थानान्तरित होकर पेश हुआ जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है:— ग्राम अनन्तवाड़ा तहसील बसवा हाल तहसील बांदीकुई जिला दौसा में भूमि काश्त खाता सं नया 160 पुराना 153 के आराजी खसरा नं. 343 रकबा 0.43 हैक्टेयर बंजड़, खसरा नं. 344 रकबा 0.05 हैक्टेयर बंजड़, खसरा नं. 348 रकबा 0.24 हैक्टेयर चाही 2 स्थित है। जिसका वर्तमान राजस्व अभिलेख जमाबन्दी मे प्रतिवादी सं. 01 व 02 के नाम इन्द्राज हो रहा है। नकल जमाबन्दी संवत 2073—2076 पेश है। वाद पत्र के पैरा न. 01 मे वर्णित भूमि खसरा नं. 343 व 344 पर वादीगण का अपने बुजुर्गान के समय से ही कब्जा रहा है तथा काबिज होकर उपयोग—उपभोग करते चले आ रहे है तथा खसरा नं. 348 पर प्रतिवादीगण सं. 03 लगायत 05 का कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा भूमि सवाईचक रही है। जिसके साबिक न. 81 रहे है। नकल साबिका जमाबन्दी व मिलान क्षेत्रफल पेश है। खसरा नं. 343, 344 व 348 वाली भूमि पर प्रतिवादीगण सं. 01 व 02 व उसके पिता भूल्या पुत्र रामसहाय का कभी भी कोई कब्जा व स्वामित्व नही रहा है। खसरा नं. 343 व 344 वादीगण का पूर्वजो के समय से ही पुख्ता कुआ बना रखा है तथा अपनी भूमि में काश्त हेतु कृषि विद्युत कनेक्शन कराकर तथा विद्युत हेतु कोठडी बना रखी है तथा खसरा नं. 348 पर प्रतिवादीगण सं. 03 लगायत 05 पुख्ता मकानात बनाकर तथा बोरिंग कराकर एव घरेलू विद्युत कनेक्शन कराकर प्रतिवादीगण काबिज है। उक्त नम्बरान पर प्रतिवादीगण स. 01 व 02 व उनके पूर्वज भूल्या पुत्र रामसहाय का कभी भी कोई कब्जा व स्वामित्व नही रहा है, किन्तु प्रतिवादी स 01 के पिता भूल्या पुत्र रामसहाय द्वारा अवैध रूप से राजस्व कर्मचारियों से मिलकर तथा यह जानते हुए कि सिवायचक भूमि साबिका खसरा नं. 81 में वादीगण का करीब 0.20 हैक्टेयर एव प्रतिवादीगण सं. 03 लगायत 05 का करीबन 0.24 हैक्टेयर भूमि पर कब्जा है तथा उपयोग—उपभोग कर रहे है तथा मकानात एवं कुए आदि बने हुए है। अवैध रूप से बिना कब्जा वादीगण व उनके पूर्वजों की अदम जानकारी दिनांक 30.06.1965 को कतई गलत आलाटमेन्ट अपने हक में करा लिया। जो विधिक प्रक्रिया के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। जिसकी वादीगण को कोई जानकारी नही रही है। जिसके लिए अलाटमेन्ट की नकल लेकर पृथक से अलाटमेन्ट को निरस्त कराने का दावा प्रस्तुत किया जावेगा। वादीगण खसरा नं. 343, 344 पर काश्तकारी कानून से पूर्व काबिज काश्त है तथा भूमि सवाईचक होने से तथा लगातार कब्जा वादीगण का चला आने से तथा अदम जानकारी वादीगण व उनके पूर्वजों को प्रतिवादी सं. 01 के पिता भूल्या द्वारा अवैध रूप से अलाटमेन्ट कराया है जो वादीगण के अधिकारो तक शून्य व बेअसर है तथा इससे

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(प्रथम श्रेणी) बांदीकुई

प्रतिवादीगण सं. 01 व 02 को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही होते है। वादीगण का टीनेन्सी एक्ट से पूर्व से कब्जा काश्त होने से तथा लगातार कब्जा चला आने से उक्त भूमि खसरा नं. 343 व 344 के वादीगण व खसरा नं 348 के प्रतिवादी सं. 03 लगायत 05 खातेदार काश्तकार हो गये है। जिसकी प्रतिवादी सं. 01 व 02 को पूर्ण जानकारी रही है। जिसकी बाबत आई.एल.आर. बडियाल कलां द्वारा दिनांक 10.08.1998 को मौका रिपोर्ट दर्ज बनाई थी जिसमें लहरी का कब्जा काश्त होना दर्शित है तथा खसरा नं. 348 पर प्रतिवादीगण सं. 03 लगायत 05 का इन्द्राज हो रहा है तथा वादीगण काश्तकारी कानून से पूर्व से ही काबिज होकर उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे है तथा निर्विवाद वादीगण का उक्त खसरा नम्बरान पर कब्जा होने से वादीगण उक्त भूमि की खातेदारी प्रतिवादीगण के नाम को हजफ कराकर स्वयं के नाम कराने के अधिकारी है तथा दावा उद्‌घोषणा खातेदारी पेश है। दिनांक 05.08. 2022 को वादीगण अपने कब्जे वाली भूमि खसरा नं. 343, 344 पर काबिज थे। प्रतिवादीगण एकराय होकर वादीगण की कब्जे की भूमि पर आ गये और प्रतिवादी सं. 01 व 02 ने एलानियां कहा कि उक्त भूमि हमारे नाम है तथा हमारे बुजुर्ग मूल्या पुत्र रामसहाय द्वारा अपने हक में अलाट करा कर खातेदारी करवा ली है तथा अब हमारे नाम है हम तुम्हे उक्त खसरा नं. 343, 344 पर से बेदखल करके रहेगे। प्रतिवादी सं. 03 लगायत 05 ने भी एलानियां कहा कि हम प्रतिवादी सं. 01 व 02 से उक्त भूमि को खरीद कर तुम्हे बेदखल करके रहेंगे तथा वादीगण के उपयोग उपभोग मे बाधा डालने लगे। वादीगण ने प्रतिवादीगण से कहा कि उक्त भूमि पर हमारा बजमाने बुर्जुर्गान से सैकड़ो वर्षो से कब्जा चला आ रहा है तथा उक्त भूमि से प्रतिवादीगण को किसी प्रकार का कोई हक नही है तथा बडी मुश्किल से प्रतिवादीगण को समझाईस कर मौके भेजा। किन्तु प्रतिवादीगण एलानिया कह कर गये है कि वह उक्त भूमि को दीगर शख्स को बेचान कर वादीगण को उसके हक व अधिकार से वंचित करके रहेगे। प्रतिवादीगण अपने नाजायज मकसद मे कामयाब हो गये तो वादीगण को अपूर्णीय क्षति कारित होगी एवं वादीगण को बिना वजह के मुकदमात में उलझना पडेगा। जिससे पक्षकारान की बर्बादी होगी। इसलिए प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है। इसलिये दावा स्थायी निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ है। राज्य सरकार के विरूद्ध दावा लाने से पूर्व धारा 80 (2) सीपीसी के तहत नोटिस दिया जाना कानूनन जरूरी है, लेकिन दावा अर्जेन्ट नेचर का है, ऐसी स्थिति में यदि प्रतिवादीगण सं. 07 को धारा 80(2) सीपीसी का नोटिस दिया जाता है तो इस अवधि मे प्रतिवादीगण अवैध रूप से वादीगण को भूमि वादग्रस्त से जबरन बेदखल कर देंगे। ऐसी सूरत में धारा 80 (2) सीपीसी का नोटिस दिया जाना संभव नही है। इसलिए धारा 80 (2) सीपीसी के तहत बिना नोटिस दावा व प्रार्थना पत्र पेश करने की अनुमति हेतु अलग से प्रार्थना पत्र पेश है। हमयू किस्म के दावेजात के लिए बिल मुक्ता कोर्ट फीस प्रत्येक इस्तदुआ के लिये दो रूपये दावा हाजा चार रूपये कोर्ट फीस पर पेश है। भूमि मुतदाविया व सकूनत फरीकेन अदर हद्‌द न्यायालय हाजा होने के कारण अख्तियार समाअत मुकदमा हाजा न्यायालय हाजा को प्राप्त है एवं दावा अन्दर मियाद पेश है अतएव वादपत्र पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र वादीगण बरखिलाफ प्रतिवादीगण निम्न इस्तदुआ स्वीकार करते हुए डिक्री पारित फरमाई जावे– भूमि ग्राम अनन्तवाडा तहसील बसवा हाल तहसील बांदीकुई जिला दौसा मे भूमि काश्त खाता सं. नया 160 पुराना 153 के आराजी खसरा नं. 343 हरसहाय रकबा 0.43 हैक्टेयर, खसरा नं. 344 रकबा 0.05 हैक्टेयर स्थित है

कार्यपालक मजिस्ट्रेट

जिस पर वादीगण बजमाने बुजुर्गान से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम से पूर्व से ही काबिज होने से उक्त भूमि के स्वतः ही खातेदार काश्तकार हो गये। इसलिए खसरा नं. 343, 344 में प्रतिवादीगण सं. 01 व 02 का नाम हजफ किया जाकर उक्त भूमि का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण को इस आशय से पाबन्द किया जावे कि वे दावा पत्र के पैरा नं. 01 में वर्णित भूमि में वादीगण के कब्जे काश्त पर किसी प्रकार का कोई कब्जा आदि न करे व वादीगण के उपयोग–उपभोग व कब्जे काश्त में मजाहमत पैदा करने से तार्फेसला दावा बाज व मुमतन्हा । पाबन्द रहें। खर्चा वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे। अन्य दादरसी जो करीने इन्साफ मुफीदे वादीगण हो और अता फरमायी जावे।

दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादी संख्या 3 लगायत की दिनांक 23.01.2024 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से निम्न प्रकार जवाब पेश किया गया :– दावा पत्र का पैरा नं. 1 अभिलेख पर मौजूद है जवाब का मौहताज नहीं है। दावा पत्र का पैरा नं. 2 जिस तरीके से तहरीर किया है गलत है एवं अस्वीकार है। वादीगण का खसरा नं. 343 344 पर वादीगण का अपने बुजुर्गान के समय से ही कब्जा रहा है। तथा खसरा नं. 348 पर प्रतिवादीगण सं. 03 लगायत 05 का कब्जा काश्त चला आ रहा है बिल्कुल गलत है एव अस्वीकार है वादीगण का यह कथन की भूमि सवाईचक रही है। जिसके साबिक खसरा नं. 81 रहे है। उपरोक्त कथन अभिलेख का विषय है जो वादी स्वयं साबित करे। सही कथन इस प्रकार है कि वादीगण का खसरा नं. 343, 344 व प्रतिवादीगण सं. 3 लगायत 05 तक खसरा नं. 348 पर उनका व उनके बुर्जगान के समय से कोई कब्जा नहीं चला रहा है बल्कि मिन प्रतिवादीगण का ही उपरोक्त खसरा नंबरान पर खातेदारी होने कारण कब्जा चला आ रहा है तथा वे ही उक्त भूमि पर अपने बुर्जगान के समय से ही काबीज काश्त होकर उपयोग – उपभोग करके लगान अदा करते चले आ रहे है। दावा पत्र पैरा नं 03 बिल्कुल गलत है व अस्वीकार है वादीगण का यह कथन कि खसरा नं. 343, 344 व 348 वाली भूमि पर प्रतिवादीगण सं. 01 व 02 व उसके पिता मूल्या पुत्र रामसहाय का कभी कोई कब्जा या स्वामित्व नही रहा है। खसरा नं. 343, 344 का पूर्वजो का पुख्ता कुआं बना रखा है। तथा अपने भूमि में काश्त हेतु कनेक्शन कराकर बनाकर कोटडी बना कर रखी है तथा खसरा नं. 348 पर प्रतिवादी सं. 03, 05 पुख्ता मकानात बना कर तथा बोरिंग कराकर विद्युत कनेक्शन कराकर काबिज है। उक्त नंबरान पर प्रतिवादी सं. 01, 02 व उनके पूर्वज मूल्या पुत्र रामसहाय का भी कब्जा व स्वामित्व नहीं रहा है। तथा प्रतिवादी स. 01 के पिता मूल्या पुत्र रामसहाय द्वारा अवैध रूप से राजस्व कर्मचारियों से मिलकर तथा यह जानते हुए कि विवादग्रस्त भूमि साबिका खसरा नं. वादीगण का करीब 0.20 हैक्टेयर भूमि पर कब्जा है तथा उपयोग–उपभोग कर रहे है। तथा मकानात एव कुए आदि बने हुए है। तथा दिनांक 30.06.1965 को वादीगण की जानकारी के बिना अपने नाम अलॉटमेंट करवा लिया है जो खारिज किये जाने योग्य है । तथा अलॉटमेंट कि नकल लेकर अलग से करवाई कि जायेगी । उपरोक्त समस्त कथन बिल्कुल झूठे असत्य, मनगढ़त बेबुनियादी व अवैध है तथा विरासामासी है सही तथ्य इस प्रकार है कि मिन प्रतिवादीगण के बुर्जगान को विधिवत भूमि अलॉट हुई है जिसकी खातेदारी वर्तमान में उनके नाम है तथा उनके ही उक्त भूमि में कुएं व मकानात मौजूद है। जिसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है वादीगण तथा प्रतिवादीगण 03 लगायत का उक्त भूमि से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध

सरोकार नही है। एक तरफ वादीगण अपने तथ्यो मे भूमि खसरा नं. 343 रखबा 0.43 हैक्टेयर खसरा न. 344 रखबा 0.05 हैक्टेयर पर पैरा नं. 02 मे अपना कब्जा बता रहे है। तथा पैरा नं. 03 मे 0.20 हैक्टेयर पर अपना कब्जा बता रहे है। उपरोक्त दोनों कथन विरोधाभासी है तथा एक और अपने वाद पत्र में वे स्वयं मिन प्रतिवादीगण के बुर्जगान के नाम दिनांक 30.08.1965 को अलॉट होना बता रहे है। तथा दूसरी तरफ उक्त अलॉटमेंट को निरस्त करवाने बाबत अलॉटमेंट की नकल लेकर जुदागाना कार्यवाही करना बता रहे है। उपरोक्त कथन भी विरोधाभासी है जब वादीगण के पास अलॉटमेंट की नकल ही नही है। तो वे किस आधार पर मिन प्रतिवादीगण के बुर्जगान को दिनांक 30.08.1965 को अलॉटमेंट होना बता रहे है। इससे साफ जाहिर होता कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण 03 लगायात 05 ने आपस में षडयंत्र रचकर बिना किसी विधिक अधिकार के झूठा दावा पेश किया है। जो खारिज खरिज किये जाने योग्य है। पैरा नं. 04 बिल्कुल गलत है व अस्वीकार है वादीगण का यह कथन है कि खसरा न. 343, 344 पर काश्तकारी कानून से पूर्व काबिज काश्त है तथा उनका लगातार कब्जा चला आने से उनकी व उनके बुर्जगान की बिना जानकारी के प्रतिवादी सं. 01 के पिता मूल्या द्वारा गलत अलॉटमेंट करवा लिया गया है। जो वादीगण के अधिकार तक शून्य व बेअसर है तथा भूमि खसरा नं. 343, 344 पर वादीगण खसरा नं. 348 पर प्रतिवादीगण 03 लगायात 05 पर खातेदार काश्तगार हो गये है तथा इसकी जानकारी प्रतिवादीगण सं. 01 व 02 को पूर्ण रूपेण रही है और जिसकी बाबत आई.एल. आर बड़ियाल कला द्वारा 10.08.1998 को मौका रिपोर्ट बनाई जिसमें सहरी का कब्जा काश्त दर्शित है। तथा इस आधार पर उन खातेदार घोषित किया जाए है। उपरोक्त कथन बिल्कुल झूठे मनगढत बेबुनियादी व अवैध है। सही कथन इस प्रकार है मिन प्रतिवादीगण उक्त भूमि के काबिज काश्त रिकार्डेड खातेदार है। तथा वे ही उस पर काबिज काश्त होकर उपयोग–उपभोग करके चले आ रहे है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण 03 लगायत 05 का उक्त भूमि पर कब्जा काश्तकारी कानून से पूर्व रहा है और न ही आज है। अगर किसी प्रकार आई.एल.आर कि रिपोर्ट वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 03 लगायात 05 न बिना मिन प्रतिवादीगण की जानकारी के तैयार करवाई है तो वो फर्जी व बेअसर है कानून मिन प्रतिवादीगण की खातेदारी की भूमि पर आई.एल.आर ने कोई रिपोर्ट बनाये तो बिना किसी विधिक अधिकार के बनाई है। जो किसी कदर साक्ष्य मे ग्रहा नही है। वाद पत्र का पैरा न. 05 बिल्कुल गलत व अस्वीकार है जब वादीगण खसरा नं. 343 व 344 पर काबिज नहीं है। तो उन्हें बेदखल करने का सवाल ही पैदा नही होता है। तथा प्रतिवादी सं. 03 लगायत 05 व वादीगण आपस मे मिले हुए है। जिन्होंने बिना किसी विधिक अधिकार के वाद पत्र पेश किया है। दिनांक 05.08.2022 को किसी प्रकार की कोई घटना कारित नही हुई है। तथा मिन प्रतिवादीगण उक्त भूमि के कबिज काश्त खातेदार है जिन्हें भूमि को रहन–बय करने का विधिक अधिकार प्राप्त है। पैरा नं. 06 बिल्कुल गलत व अस्वीकार है कानून रिकोर्डेड खातेदार को स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित नही किया जा सकता है। पैरा न. 07,08, कानूनी है जवाब के मोहताज नही है। न्यायालय हाजा को वाद पत्र सुनने का अधिकार नही है। इस्तदुआ दादरसी अ ब स द गलत है अस्वीकार है। अतिरिक्त कथन– दावा मियाद बाहर है । न्यायालय हाजा को अलॉटमेंट खारिज करने का विधिक क्षेत्राधिकार प्राप्त नही है। वादीगण को वाद पत्र लाने कोई विधिक अधिकार नही है। तथा जब विधिक अधिकार नही है। तो वादकारण

पैदा होने कोई प्रश्न पैदा नही होता है। अतः जवाबदावा पेश मे हर्जा-खर्चा खारिज फरमाया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से जवाब दावा पेश होने पर प्रकरण में निम्न प्रकार तनकीयात कायम की गई:-

तनकी संख्या 1 आया वादीगण भूमि वादग्रस्त के खसरा नम्बर 343, 344 मे वादीगण बजमाने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम से पूर्व ही काबिज होने से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम हजफ करवाकर उक्त भूमि मे वादीगण खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारी है। वादीगण ....।

तनकी संख्या 2 आया वादी प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी नही है। वादीगण ....।

तनकी संख्या 3 प्रतिवादीगण वादीगण का खसरा नम्बर 343, 344 पर वादीगण का अपने बुजुर्गान के समय से कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है। प्रतिवादीगण उक्त भूमि के काबिज काश्त खातेदार है। वादीगण खातेदारी पाने के अधिकारी नही है। प्रतिवादी संख्या 1,2..........।

तनकी संख्या 4 अनुतोष:-

प्रकरण में उक्त तनकीयात कायम होने पर प्रकरण वादी साक्ष्य पर नियत किया गया। वादी की ओर से दिनेश कुमार पुत्र किशन लाल , रमेश पुत्र लहरी जाति धोबी, का पेश किया गया दिनेश से जिरह प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा की गई। प्रकरण प्रतिवादी साक्ष्य पर नियत किया गया। प्रकरण मे दिनांक 27.06.2025 प्रतिवादी साक्ष्य बन्द की गई प्रतिवादी साक्ष्य का पुनःदिनांक 10.09.2025 को 200 रूपये की कास्ट पर अवसर दिया गया। प्रतिवादी की ओर से कैलाश पुत्र मूल्या,गोपाल पुत्र मोहन लाल जाति बैरवा का पेश किया गया। जिरह के दौरान प्रतिवादी साक्ष्य हाजीर नही होने से प्रतिवादी साक्ष्य बन्द की गई। प्रकरण बहस पर नियत किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान वादी अधिवक्ता का तर्क रहा है कि भूमि खसरा नं 343 व 344 पर वादीगण का अपने बुजुर्गान के समय से ही कब्जा रहा है तथा काबिज होकर उपयोग-उपभोग करते चले आ रहे है तथा खसरा न. 348 पर प्रतिवादीगण सं. 03 लगायत 05 का कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा भूमि सावाईचक रही है। जिसके साबिक नं. 81 रहे है खसरा नं. 343, 344 व 348 वाली भूमि पर प्रतिवादीगण सं. 01 व 02 व उसके पिता मूल्या पुत्र रामसहाय का कभी भी कोई कब्जा व स्वामित्व नही रहा है। खसरा नं. 343 व 344 वादीगण का पूर्वजो के समय से ही पुख्ता कुआ बना रखा है तथा अपनी भूमि मे काश्त हेतु कृषि विद्युत कनेक्शन कराकर तथा विद्युत हेतु कोठडी बना रखी है तथा खसरा नं. 348 पर प्रतिवादीगण सं. 03 लगायत 05 पुख्ता मकानात बनाकर तथा बोरिंग कराकर एवं घरेलू विद्युत कनेक्शन कराकर प्रतिवादीगण काबिज है। उक्त नम्बरान पर प्रतिवादीगण सं. 01 व 02 व उनके पूर्वज मूल्या पुत्र रामसहाय का कभी भी कोई कब्जा व स्वामित्व नहीं रहा है, किन्तु प्रतिवादी सं. 01 के पिता मूल्या पुत्र रामसहाय द्वारा अवैध रूप से राजस्व कर्मचारियों से मिलकर तथा यह जानते हुए कि सिवायचक भूमि साबिका खसरा न. 81 मे वादीगण का करीब 0.20 हैक्टेयर एवं प्रतिवादीगण सं. 03 लगायत 05 का करीबन 0.24 हैक्टेयर भूमि पर कब्जा है तथा उपयोग-उपभोग कर रहे है तथा मकानात एवं कुए आदि बने हुए है। अवैध रूप से बिना कब्जा वादीगण व उनके पूर्वजो की अदम जानकारी दिनांक 30.06.1965 को कतई गलत

[illegible signature and stamp]

आलाटमेन्ट अपने हक मे करा लिया। जो विधिक प्रकिया के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।भूमि ग्राम अनन्तवाड़ा तहसील बसवा हाल तहसील बांदीकुई जिला दौसा मे भूमि काश्त खाता सं. नया 160 पुराना 153 के आराजी खसरा नं. 343 हरसहाय रकबा 0.43 हैक्टेयर, खसरा नं. 344 रकबा 0.05 हैक्टेयर स्थित है जिस पर वादीगण बजमाने बुजुर्गान से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम से पूर्व से ही काबिज होने से उक्त भूमि के स्वतः ही खातेदार काश्तकार हो गये। इसलिए खसरा नं. 343, 344 मे प्रतिवादीगण सं. 01 व 02 का नाम हजफ किया जाकर उक्त भूमि का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान तर्क किया है कि वादग्रस्त भूमि के संबंध मे पूर्व मे माननीय न्यायालय उप जिला कलक्टर बांदीकुई के निर्णय दिनांक 20.8.2002 को प्रतिवादीगण के पक्ष मे निर्णय पारित किया गया गया था। जिसकी अपील न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के न्यायालय मे वादीगण के पिता किशन लाल ने की गई थी। जो दिनांक 08.09.2004 को खारिज की जा चुकी है। अपील निर्णय की प्रति पेश है। जिससे साबित है कि वादग्रस्त भूमि प्रतिवादीगण की भूमि है। वादग्रस्त भूमि विधिवत प्रतिवादीगण के पूर्वजो को अलॉटमेन्ट हुई है। अतः दावा खारिज किया जावे।

बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया एवं पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया प्रकरण का तनकी वार निर्णय निम्न प्रकार है:-

तनकी संख्या 1 आया वादीगण भूमि वादग्रस्त के खसरा नम्बर 343, 344 मे वादीगण बजमाने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम से पूर्व ही काबिज होने से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम हजफ करवाकर उक्त भूमि मे वादीगण खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारी है। उक्त तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर वादीगण द्वारा वाद की ताईद मे प्रदर्श 1 ग्राम अनन्तवाड़ा की जमाबन्दी खाता संख्या नया 243 पुराना 205 खसरा नम्बर 360, 361, 365 ,366,368,369 कुल किता 6 कुल रकबा 1.24, प्रदर्श 2 बिजली का बिल, प्रदर्श 3 मिलान क्षेत्रफल , प्रदर्श 4 नामान्तरण संख्या 207 स्वीकार दिनांक 09.02.74 पेश किया गये है। वादीगण का कथन है कि खसरा नम्बर 343, 344 मे वादीगण बजमाने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम से पूर्व ही काबिज होने से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम हजफ करवाकर उक्त भूमि मे वादीगण खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारी है। उक्त कथन के समर्थन मे वादीगण द्वारा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया जिससे यह साबित हो की वादग्रस्त भूमि में वादीगण काबिज हो। प्रदर्श 3 मिलान क्षेत्रफल संवत 2052 से 2071 के अनुसार खसरा नम्बर 61 से खसरा नम्बर 343,344 बने है। प्रदर्श 4 नामान्तरण संख्या 207 स्वीकार दिनांक 09.02.74 के द्वारा खसरा नम्बर 61 का नामान्तरण मुल्या पुत्र रामप्रसाद के नाम दर्ज स्वीकार हुआ है। नामान्तरण मे भी जमीन पर अलाटी का कब्जा होने का अंकन है। प्रदर्श 2 बिजली का बिल हरसहाय , रामसहाय का पेश किया गया बिजली के बिल में खसरा नम्बर अंकित नही है जिससे यह साबित नही है कि उक्त कनेक्शन किस खसरा नम्बर पर है। ग्राम अनन्तवाड़ा के खाता संख्या 160 नया पुराना 153 सम्वत 2073-2076 की जमाबन्दी की छाया प्रति अनुसार खसरा नम्बर 343, 344 की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 तथा प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज है। वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि मे पूर्वजो के समय से ही कब्जा होने कथन किया गया है परन्तु उक्त कथन को साबित करने

हेतु कोई भी साक्ष्य न्यायालय मे पेश नही किया गया है। इसलिये उक्त तनकी को साबित करने मे वादीगण असफल रहे है। उक्त तनकी वादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

तनकी संख्या 2. आया वादी प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी नही है। उक्त तनकी को साबित करने का वादीगण द्वारा पेश दस्तावेजात के आधार पर तनकी संख्या 1 में विवेचन किया जा चुका है। वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 343,344 की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 तथा प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज है। जिसमे वादीगण खातेदार नही है। किसी खातेदार को उसकी खातेदारी भूमि में स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जा सकता है। उक्त तनकी को साबित करने मे वादीगण असफल रहे है। उक्त तनकी वादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

तनकी संख्या 3 प्रतिवादीगण वादीगण का खसरा नम्बर 343, 344 पर वादीगण का अपने बुजुर्गान के समय से कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है। प्रतिवादीगण उक्त भूमि के काबिज काश्त खातेदार है। वादीगण खातेदारी पाने के अधिकारी नही है। उक्त तनकी को साबित करने का प्रतिवादी संख्या 1 व 2 पर प्रतिवादीगण द्वारा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया। वादीगण द्वारा पेश दस्तावेज प्रदर्श 3 मिलान क्षेत्रफल ,प्रदर्श 4 नामान्तरण संख्या 207 स्वीकार दिनांक 09.02.74 एवं ग्राम अनन्तवाडा के खाता संख्या 160 नया पुराना 153 सम्वत 2073–2076 की जमाबन्दी की छाया प्रति अनुसार खसरा नम्बर 343, 344 की खातेदारी प्रतिवादी सख्या 1 तथा प्रतिवादी संख्या 2 की खातेदारी भूमि है। उक्त तनकी प्रतिवादीगण के पक्ष मे तय की जाती है।

तनकी संख्या 4 अनुतोष:– तनकी संख्या 1 लगायत 3 के विवेचन के आधार पर वादीगण अपने वाद को साबित करने में असफल रहे है। दावा पोषणीय नही है। इसलिये दावा वादीगण किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि वादी वाद दावा उद्घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा ग्राम अनन्तवाडा तहसील बसवा हाल तहसील बांदीकुई जिला दौसा मे भूमि काश्त खाता सं. नया 160 पुराना 153 के आराजी खसरा नं. 343 रकबा 0.43 हैक्टेयर बंजड़, खसरा नं. 344 रकबा 0.05 हैक्टेयर बंजड़, खसरा नं. 348 रकबा 0.24 हैक्टेयर चाही 2 का पोषणीय नही होने से खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी होकर प्रकरण बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। मेरे द्वारा आज दिनांक 09.03.2026 को निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

09/3/26

(रामनिवास राम)र एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
बांदीकुई

डिकी मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
बज अदालत–न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) बांदीकुई मुकाम–बांदीकुई
बजे इजलास रामसिंह राजावत आर.ए.एस. सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) बांदीकुई
उनवान– दिनेश कुमार बनाम फैसाया वगै.
दावा उद्घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं– मूल 251/2020 न्यायालय हाजा में दर्ज 2023/202 (202802/OA1535003)

आदेश है कि वादी वाद दावा उद्घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा ग्राम अनन्तवाड़ा तहसील बसवा हाल तहसील बांदीकुई जिला दौसा में भूमि काश्त खाता सं. नया 160 पुराना 153 के आराजी खसरा नं. 343 रकबा 0.43 हैक्टेयर बंजड़, खसरा नं 344 रकबा 0.05 हैक्टेयर बंजड़, खसरा नं 348 रकबा 0.24 हैक्टेयर चाही 2 का पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। निज मुबलिग बाबत् खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह 0 फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक का अदा करें। बतसद मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 09 माह 03 सन् 2026 को जारी की गई।

09/3/26
(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
बांदीकुई

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दाअलेह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत तुमनामा मुतफरिक मीजान	निल	निल	स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय तुमनामा मुतफरिक मीजान	निल	निल

09/3/26
दस्तखत........
मोहर........